1. मनु

मनु द्वारा लिखा ग्रंथ → मनुस्मृति (धर्मशास्त्र)

धर्मशास्त्र संबंधी सम्पूर्ण ज्ञान, मनुष्य के कल्याण हेतु ब्रह्मा ने मनु को दिया, मनु को ब्रह्मा को पुत्र व पृथ्वी पर पहला राजा माना जाता है।

- मनुस्मृति (200 ई० पू० – 200 ई०) तक लिखी गई (लगभग 400 साल)
- धर्मशास्त्र में धर्म को राज्य से प्राथमिक माना गया है
- धर्म शब्द की उत्पत्ति 'धृ' धातु से हुई जिसका अर्थ है धारण करना

→ मनु ने धर्म के पांच स्रोत बताये हैं।
- वेद
- स्मृति
- सज्जनों का आचरण
- अंतःकरण
- राजाज्ञा

धर्मशास्त्र के निर्माण का कारण क्या था?

Ans → मानव धर्म की व्याख्या हेतु व प्राणी मात्र को उनके विभिन्न धर्मों का बोध कराने हेतु ही धर्मशास्त्र का निर्माण हुआ

धर्मशास्त्र व राज्य की उत्पत्ति

मानव धर्मशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है।

दैवीय सिद्धांत → मनु के अनुसार, संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की व्याख्या की।

राजा को ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा व कुबेर का सारभूत अंश लेकर बनाया है। राजा का स्वभाव अक्षुण्ण है।

→ मनु ने राजा को दिव्यता की शक्ति के बजाय कर्तव्य के विभिन्न पक्षों से जोड़ा है।

Note → मनु का राजत्व का दैवीय सिद्धांत → हॉब्स, लॉक व चाणक्य के समान प्रतीत होता है।

Scanned with CamScanner

राज्य का सप्तांग सिद्धांत ⇒

→ धर्मशास्त्र में राज्य की 'सवायव प्रकृति' की कल्पना की गई है जिस तरह से मनुष्य के शरीर के विभिन्न भाग महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह राज्य में विभिन्न अंगों का तत्व होता है। राज्य के अंग / तत्व 7 है।

i) स्वामी (राजा) iii) दुर्ग (पुर) (v) कोष v) मित्र
(ii) मंत्री (अमात्य) (iv) राष्ट्र vi) दंड

सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर है मनु ने एक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया है।

सामाजिक व्यवस्था पर विचार

→ धर्मशास्त्र में तत्कालीन वर्णव्यवस्था का समर्थन किया गया। तथा राजा से अपेक्षा की गई कि वह प्रत्येक वर्ण के सदस्य द्वारा उनके निर्धारित कर्तव्यों के पालन सुनिश्चित करे।

वर्ण व्यवस्था के चार स्तंभ →
- ब्राह्मण
- क्षत्रीय
- वैश्य
- शूद्र

Note (पहले वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर, मनुस्मृति के बाद इसका आधार जन्म हो गया)

→ वर्ण व्यवस्था के अलावा प्राचीन समाज में कर्तव्य निर्धारित करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्माण भी किया गया क्योंकि यह व्यक्ति के सामूहिक व्यवहार को नियंत्रण करने में सहायक थी इसके अलावा इस व्यवस्था से व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर भी नियंत्रण किया जाता है।

4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था थी

a) ब्रह्मचर्य आश्रम → विद्या अर्जन व ब्रह्मचर्य का पालन (25 वर्ष तक)
b) गृहस्थ आश्रम → परिवार का पालन पोषण (25 से 50 वर्ष तक)
c) वानप्रस्थ आश्रम → घर में रहते हुए स्वयं को सांसारिक कार्यों से पृथक करना (50 से 75 वर्ष तक)
d) सन्यास आश्रम → वन में जाकर तपस्या या ईश्वर का जाप करना (75-100 वर्ष तक)

Scanned with CamScanner

- व्यक्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना।

Note → धर्मानुकूल आचरण से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है तथा राजा जब अपने राजधर्म का निर्वाह करता है तो उसे भी मोक्ष प्राप्ति होती है।

विदेश नीति पर विचार

→ मनु ने विदेश नीति के सैद्धांतिक पक्षों में → मंडल सिद्धांत, षड्गुण्य नीति, उपायों को सम्मिलित किया है।

मंडल सिद्धांत → इसमें अंर्त अंतर्राज्य संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल दिया गया है यह राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यवहारिक स्वरूप माना जा सकता है।

→ विजीगिषु राज्य को राष्ट्र मंडल का केंद्रस्थ माना गया है राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गये है – मित्र, शत्रु, मध्यम, उदासीन

षड्गुण्य नीति → इसमें 6 प्रकार की नीतियां बताई गई है जो किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्य के प्रति किसी विशिष्ट परिस्थिति में अपनाई जा सकती है।

i) संधि ii) विग्रह iii) यान, iv) आसन, v) द्वैधीभाव
vi) संश्रय

उपाय → साम, दाम, दंड, भेद

विदेश नीति के संचालन में दूत व्यवस्था व गुप्तचर व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है मनु ने 5 प्रकार के गुप्तचरों पर बल दिया है।

i) कापटिक iii) उदास्थित (सन्यास धर्म में पतित)
ii) तापस iv) गृहपति (जो कृषि के स्थान पर गुप्तचर्या करे)
v) व्यापारी।

कर व्यवस्था संबंधि नियम

मनु ने राजा द्वारा उचित मात्रा में कोष संचय की आवश्यकता पर बल दिया है।

करारोपण संबंधि नियम इस प्रकार हैं—

Scanned with CamScanner

i) राजा द्वारा प्रजा से न्यायपूर्ण व नियुक्त अधिकारी के माध्यम से वार्षिक कर प्राप्त किया जाना चाहिए

ii) राजा को कर के रूप में पशु, स्वर्ण का पचासवां भाग व धान्य का छठा, आठवां व बारहवां भाग ग्रहण करना चाहिए।

iii) दूध, मांस, शहद, घी, औषधि, फूल, मिट्टी के बर्तन व पत्थर की बनी वस्तुओं का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए।

iv) राजा द्वारा आपातकाल में भी वेदपाठी ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाना चाहिए।

v) राज्य के कारीगर, बढ़ई, लोहार आदि अतिनिर्धन व्यक्तियों पर कर का भार नहीं डाला जाना चाहिए इसके स्थान पर उनसे दिन अतिरिक्त कार्य लेना चाहिए।

vi) अधिक लाभ के लालच में प्रजा पर किसी भी परिस्थिति में कर का अधिक भार नहीं डाला जाना चाहिए।

आलोचना

- मनु द्वारा समाज का वर्णों में विभाजन तार्किक व उचित प्रतीत नहीं होता
- राजा का रूप ईश्वर समान चित्रित करना उस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध न लगाना - यह राजा निरंकुश व अधिनायकवादी प्रतीत होता है।
- राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत तार्किक प्रतीत नहीं होता।
- मनु ने व्यक्तियों के कर्तव्य व धर्म पर बल दिया है अधिकारों व स्वतंत्रता पर नहीं।

निष्कर्ष

- मनु द्वारा चित्रित राजा - धर्म के अधीन होगा, अतः वह निरंकुश नहीं हो सकता। तथा राजा ईश्वर का अंश व आदर्श रूप है।
- राजा के कर्तव्य → संतुलन सिद्धांत लागू करना, वर्ण व्यवस्था बनाए रखना आदि समाज में शांतिमय वातावरण की स्थापना करते है।

Scanned with CamScanner